न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी - संदेश नायक, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)

प्रार्थना-पत्र (सरफैसी) संख्या 8 सन् 2020 दायरा दिनांक 12.2.2020

ए.यू. स्मॉल फायनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ''ए.यू. फाईनेन्सर्स(इंडिया) लिमिटेड'' के नाम से जाना जाता था) पंजीकृत कार्यालय 19ए-धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001

-प्रार्थी

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद, पता- रायको का मौहल्ला, सैकण्डरी स्कूल के पास, बांय तहसील तारानगर जिला चूरू (द्वितीय पता- वार्ड नंबर 10, रायको का मौहल्ला, बाजार के पास, बांय तहसील तारानगर जिला चूरू)
2. ओमप्रकाश पुत्र हनुमान प्रसाद, पता- रायको का मौहल्ला, सैकण्डरी स्कूल के पास, बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
3. श्रीमती बादु देवी पत्नी हनुमान प्रसाद, पता- रायको का मौहल्ला, सैकण्डरी स्कूल के पास, बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
4. नरेश कुमार पुत्र गजेन्द्र प्रसाद, पता- वार्ड नंबर 10, बाजार के पास, बांय तहसील तारानगर जिला चूरू

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः- श्री पंकज सिंह, अधिवक्ता - प्रार्थी

-:: निर्णय ::-

निर्णय दिनांक 5.3.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 को प्रार्थी से दिनांक 9.10.2017 को 4,70,000/- रूपये (अखरे चार लाख सतर हजार रूपये मात्र) ऋण की सुविधा दी गई थी तथा अप्रार्थी श्री महावीर प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद की आवासीय भूमि पट्टा नंबर 7, बुक नंबर 45 दिनांक 27.7.2017 कुल तादादी 2495.89 वर्गफीट भूमि वार्ड संख्या 10, रायको का मौहल्ला, बाजार के पास, बांय तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका माप 2495.89 वर्गफीट है का सामयिक बंधन

जिला कलेक्टर

करवाया था, जिसका आसा-पासा इस प्रकार है। उतर में - मैन गेट व आम रास्ता, दक्षिण में - महेन्द्र कुमार अग्रवाल, पूर्व में - शिव भगवान, पश्चिम में - साँवरमल पेडिवाल।

2. ऋणी द्वारा उपलब्ध ऋण बैक को नियमानुसार नही चुकाने के कारण ऋण खाता बैक ने दिनांक 3.8.2019 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया तथा प्रार्थी ने दिनांक 24.9.2019 को अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर दिया।

3. अप्रार्थी द्वारा बैक के ऋण राशि व ब्याज राशि अदा नहीं किए जाने पर यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002 मय दिनांक 16.8.2016 को हुए संशोधन के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4. प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. अप्रार्थी ऋणियों द्वारा ऋण राशि वापस भुगतान में चूककर्त्ता रहने पर बैक द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया है जिसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। जिससे The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 25(1) Plan/1F/VI/2005/P II Jaipur दिनांक 10.3.2006 एवं संशोधन दिनांक 16.8.2016 में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है व अप्रार्थी द्वारा ऋण सुविधा लेते समय जिस सम्पत्ति को परिसम्पत्ति के रूप में प्रार्थी के पक्ष में बंधक किया गया था (रिकॉर्ड के अनुसार) उस सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी को जरिये पुलिस अधीक्षक, चूरू से प्राप्त किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

6. निर्णय की प्रतिलिपि प्रार्थी एवं पुलिस अधीक्षक, चूरू को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 5.3.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(संदेश नायक)
जिला कलक्टर, चूरू